

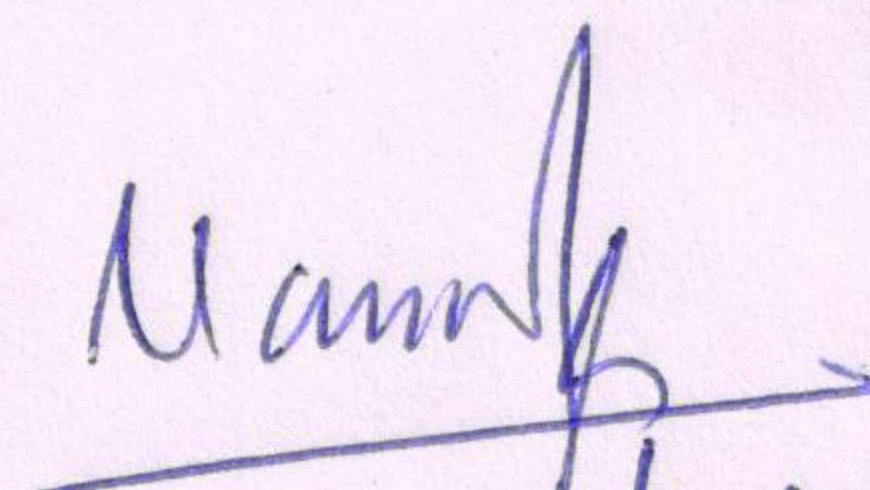
EDS dated: 11.7.2017

FP/UK/ROAD/16321/2015

Construction of Simli-Sheleshwar MR (1.44 ha)

The reply of this office online EDS dated 03.04.2017 has been uploaded by the State Govt. on 28.06.2017 but the reply of this office offline letter dated 10.04.2017 (copy attached) has not been submitted so far.

Therefore, State Govt. may submit the hard copy of the proposal containing original/attested copies of all the documents except the FRA certificate, geo referenced digital maps of the forest land proposed for diversion and the land proposed for CA, CA scheme, CA site suitability certificate, enumeration list & Part- III, IV & V which are required in original copies.


11/7/2017

भारत सरकार
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन
मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय,
25, सुभाष रोड
देहरादून- 248001
दूरभाष: 0135-2650809,
ईमेल/Email moef.ddn@gmail.com



GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF ENVIRONMENT,
FORESTS & CLIMATE CHANGE,
25, Subhash Road
Dehradun - 248001
Phone: 0135-2650809

File No. 8B/UCP/06/89/2016/FC /37

Dated: 10.04.2017

सेवा में,

अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी
वन संरक्षण, इन्दिरा नगर फॉरेस्ट कालोनी,
देहरादून - 248006

विषय: जनपद चमोली के अन्तर्गत सिमली-शैलेश्वर मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 1.440 है० वन भूमि का लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन।

संदर्भ: आपका पत्राक शून्य दिनांक: 10.02.2017.

महोदय,

उपरोक्त विषय पर संदर्भित पत्र का आशय ग्रहण करते हुये मुझे आपको यह सूचित करने का निर्देश हुआ है कि प्रश्नगत प्रस्ताव के जवाब में कुछ कमियां पायी गई थी। जिसे आपको ऑनलाइन वेब पोर्टल के माध्यम से दिनांक 03.04.2017 को प्रेषित किया जा चुका है एवं जवाब अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है।

उपरोक्त के अतिरिक्त आपको यह भी सूचित करना है कि प्रस्ताव की हार्ड कॉपी में समस्त दस्तावेजों की छायाप्रति ही प्रेषित की गई है जो कि सत्यापित भी नहीं की गई है। अतः आपसे अनुरोध है कि प्रस्ताव की हार्ड कॉपी में समस्त दस्तावेजों की मूल या सत्यापित छायाप्रति प्रेषित करने का कष्ट करें। परन्तु FRA Certificate एवं Geo referenced digital maps की मूल प्रति ही भेजना आवश्यक है।

उपरोक्त दस्तावेजों/सूचनाओं के प्राप्त होने के पश्चात् ही प्रस्ताव पर अग्रिम कार्यवाही कि जा सकेगी।

01C

भवदीय

(एम.एस.नेगी)
वन संरक्षक